

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
(वीबीडी प्रभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आर.आर.) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेक होल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री अम्बा दत्त वबाड़ी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते [sovbdhfw@gmail.com](mailto:sovbdhfw@gmail.com) पर भेज सकते हैं।

नई दिल्ली

दिनांक:

(अम्बा दत्त वबाड़ी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23061510

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, तारीख ..... 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. .... (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 1980 को, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ हिंदी अनुवादक (क्र.सं.1) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (i) इन नियमों को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), कनिष्ठ हिंदी अनुवादक 'ख' पद भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तरंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तरंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

- (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।
- (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स लेवल	चयन पद हो या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01 * (2019) * कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' गैर राजपत्रित (सचिवालयी)	-वेतन मैट्रिक्स रु.5400-112400 का लेवल-VI	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
6	7
<p>30 साल (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेशके अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 साल तक छूट)</p> <p>नोट: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख भारत के अध्यार्थियों से आवेदक पत्र की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, लाहौल और स्पीति ज़िला और हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले के पांगी सब-डिवीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्ष्मद्वीप के लोगों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं है)</p>	<p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री ; या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या</p> <p>किसी अन्य विषय के अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी अनिवार्य के रूप में या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर एक परीक्षा के माध्यम के रूप में ; या</p> <p>किसी अन्य विषय के अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री एक अनिवार्य के रूप में अंग्रेजी माध्यम और हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर एक परीक्षा के माध्यम के रूप में ; या</p> <p>के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हिंदी या अंग्रेजी, अनिवार्य और वैकल्पिक के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ विषयों या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अन्य;</p> <p style="text-align: right;">तथा</p> <p>हिंदी से अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स से अंग्रेजी और इसके विपरीत या अनुवाद कार्य से दो साल का अनुभव केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत, भारत सरकार के उपक्रम सहित।</p> <p>नोट 1: योग्यता उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिल हैं अन्यथा अच्छी तरह से योग्य हैं।</p> <p>नोट 2: योग्यता (रों) के बारे में अनुभव है छूट से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में एसएससी / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर चयन के किसी भी चरण में यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, एसएससी / सक्षम प्राधिकारी की है राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> <p>वांछित:- कंप्यूटर / हिंदी टाइपिंग का ज्ञान।</p>

क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए कोई आयु और निर्धारित अवधि निर्धारित है।	परिवेक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण और रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न तरीकों से भरा जाना है।
8	9	10
लागू नहीं	दो साल	सीधी भर्ती नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा।

पदोन्नति ग्रेड द्वारा भर्ती के सीए में, जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति की जानी है।	यदि पुष्टिकरण के लिए एक विभागीय समिति	जिन पदों पर भर्ती करने के लिए यूपीएससी से परामर्श किया जाना है, उनमें परिस्थितियाँ।
11	12	13
<b>नियुक्ति</b>  स्तर के पदों में कम से कम 5 साल की नियमित सेवा के साथ या केंद्र सरकार के तहत वेतन मैट्रिक्स के 5 व्यक्तियों के साथ - और कॉलम 7. के तहत प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव के अधिकारी। प्रतिनियुक्ति सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	पदोन्नति और / या पुष्टि के लिए समूह 'बी' विभागीय पदोन्नति समिति:  i) संयुक्त निदेशक / उप निदेशक राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम- अध्यक्ष ii) उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का जनरल /डीटीई का कोई अन्य संस्थान। दिल्ली / नई दिल्ली में स्थित- सदस्य iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम - सदस्य सचिव	लागू नहीं।

फा.सं.एन-1-75 / 2019-एनवीबीडीसीपी(प्रशा.-I)

(ए.डी. वबाडी)

अवर सचिव